



# जोधपुर नगर निगम, दक्षिण

पोलीटेक्नीक कॉलेज परिसर के अन्दर, गौरव पथ, जोधपुर

JMC  
JODHPUR MUNICIPAL CORPORATION

क्रमांक- 10685

दिनांक- 31/11/2020  
I.B.T.(B) 50 / 2020-21

श्री रणजीत सोनी पुत्र श्री मनोहरलाल सोनी  
भूखण्ड सं. 293-ए.बी. गोरू स्वीट होम के सामने  
प्रथम बी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर।

## ::- भवन निर्माण आदेश :-

विषय :- व्यावसायिक भवन निर्माण प्रयोजनार्थ स्वीकृति हेतु।  
प्रसंग :- आपका आवेदन पत्र दिनांक 19.11.2018।

उपरोक्ता विषयान्तर्गत एवं प्रस्तावित गठित भवन निर्माण अनुमति समिति की बैठक दिनांक 27.07.2020 के प्रस्ताव संख्या 24 के अन्तर्गत अनुमोदित मानचित्र के अनुसार व्यावसायिक भवन निर्माण स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

- 1 बालकॉनी व छज्जे का निर्माण नहीं करेगे।
- 2 पडोसी की बिल्डिंग लाईन को यथावत रखेंगे।
- 3 मानचित्र एवं प्लेट में यदि शबुतरी दर्शायी गई है तो उसे खुली रखेंगे।
- 4 खालसा भूमि पर किसी प्रकार की तामीर का निर्माण नहीं करेगे।
- 5 स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में यह निर्माण स्वीकृति शून्य होगी।
- 6 वर्षा जल संप्रहण संरचना का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
- 7 भविष्य में बकाया राशि निकलने पर जमा करवाने को बाध्य रहेगे।
- 8 भवन में नियमानुसार अग्नि शमन सुस्था व्यवस्था करनी होगी।
- 9 दी गई भवन निर्माण स्वीकृति के विपरीत निर्माण/उपयोग होने पर यह निर्माण स्वीकृती शून्य मानी जायेगी।
- 10 भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु दी गई अनुज्ञा को स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जायेगा।

स्वीकृति का प्रकार	व्यवसायिक निर्माण
अनुमत निर्माण	बी+जी+1
कुल क्षेत्रफल	171.00 वर्गज

- 11 निर्माण स्थल पर 4'X4' के बोर्ड पर स्वीकृत मानचित्र व आदेश की प्रति को प्रदर्शित करना होगा एवं निर्माण पूर्ण साक्ष्यानों पूर्वक करना होगा, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
12. भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत नक्शों के अनुरूप निर्माण किये जाने के दौरान किसी भी प्रकार का मलबा अथवा बिल्डिंग मेटेरियल सड़क पर नहीं डाला जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का मलबा/बिल्डिंग मेटेरियल मू-स्वामी द्वारा सड़क पर डाला जाता है तो भवन निर्माणकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के परचात पालिका द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति को निरस्त की जा सकेगी।
13. भवन निर्माणकर्ता द्वारा 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर निर्माण आरम्भ किये जाने से पूर्व साईट पर कम से कम एक शौचालय का निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा तथा शौचालय की संख्या प्रति 10 अंशिक पर एक शौचालय निर्माण करना आवश्यक होगा। ताकि निर्माण कार्य में लगे मजदूर उसका प्रयोग कर सकें। यदि भवन निर्माणकर्ता द्वारा शौचालय का निर्माण नहीं किया जाता है तो निर्माण स्वीकृति को निरस्त किया जा सकेगा।
14. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में निर्णित याद गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार के निर्णयाधीन रहेगा तथा वर्तमान-भविष्य में मास्टर प्लान के अनुरूप नियमों/उपनियमों को मानने के लिये सदैव बाध्य रहेगे।

यह स्वीकृति तीन वर्ष के लिये वैध है।

आवेदन शुल्क- 300/- जांच शुल्क- 4,291/- भवन निर्माण शुल्क- 3,000/- बी.एस.यू.पी. पत्र शुल्क- 7,151/- मलबा शुल्क- 1,000/- विकास एवं संधारण शुल्क- 17,100/- भवन पूर्णता प्रमाण दिनांक 09.10.2020, उपकर- 33,009/- कुल राशि- 74,433/- जरिये रसीद संख्या 9069/8293 09.10.2020, पार्किंग शुल्क- 1,50,000/- जरिये रसीद संख्या 9069/8294 दिनांक 09.10.2020 एवं यूटी कर- 19,197/- जरिये रसीद संख्या 9069/8902 दिनांक 13.10.2020 को निगम कोष में जमा करा दिये गये हैं, साथ ही आपको आदेशित किया जाता है कि दी गई स्वीकृति के विपरीत निर्माण कार्य करने पर आपके रिकूड राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194/236/245 के प्राक्धान के तहत कार्यवाही की जायेगी। भवन निर्माण के परचात मलबा सड़क पर पाया गया तो जुर्माना के रूप में 10,000/- (असरे दस हजार रुपये) वसूल किये जायेगे।

Handwritten signature

उपायुक्ता

जोधपुर नगर निगम, दक्षिण